संघे शक्ति कलियुगे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजी. 3473/73

कार्यालय पटवारी संघ तहसील-नर्मदापुरम, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

राकेश यादव
तहसील अध्यक्ष
तहसील कार्यालय, नर्मदापुरम

संरक्षक
श्री देवी प्रसाद मेहरा
श्री नितिन शर्मा

उपाध्यक्ष
श्री मुकेश गौर
श्री भूपेन्द्र नाग

सचिव
श्री शशिकांत कुदारे

कोषाध्यक्ष
श्री वर्षित कुमार गौर

सह-सचिव
सुश्री रूकमणी माधव

प्रवक्ता
श्री नारायण सिंह राजपूत
सुश्री छाया यादव
श्री मुकेश कुर्मी

पत्र क्रमांक / दिनांक 13/02/25

ज्ञापन

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)।

विषयः पटवारियों की समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसील नर्मदापुरम (ग्रामीण) के अंतर्गत पदस्थ पटवारियों की नि.लि. समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने का अनुरोध है –

1. कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला नर्मदापुरम के पत्र कमांक 435/अ.भू.अ./2025 नर्मदापुरम दिनांक 07/01/2025 में आदेशित पत्र में ई डायरी संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में लेख है कि पटवारियों को आवश्यक संसाधन जैसे उचित कान्फिगरेशन वाला मोबाईल फोन प्रदान किए जावें जिससे राजस्व विभाग के समस्त एप चलाए जा सके। संसाधन मिलने के उपरांत उक्त कार्य किये जा सकेंगे। उक्त समस्त निर्देश वाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं।
2. पटवारी के पास हल्के में अपना कोई पृथक कार्यालय नहीं है। अतः पटवारियों को भी पंचायत सचिव के अनुसार मुख्यालय पर सर्वसुविधा युक्त फर्नीचर, विद्युत एवं ब्राडबैंड सुविधा सहित स्वयं का कार्यालय भवन उपलब्ध कराया जावे ताकि सम्मानजनक रूप से आपके निर्देश अनुसार किसान हितैषी कार्य कर सकें।
3. अवकाश के समय धार्मिक अवकाश, सामान्य अवकाश एवं शासन द्वारा प्रदत्त अवकाश के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी एवं बैठक में पटवारियों को न बुलाया जावे क्योंकि उक्त अवकाश में ड्यूटी लगाने के कारण पटवारी अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक दायित्वों का निर्धारण वर्षो से नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारे परिवारों में विघटन की स्थिति निर्मित होने से और आराम नहीं मिलने से शारीरिक रूप से

संरक्षक
श्री देवी प्रसाद मेहरा
श्री नितिन शर्मा

उपाध्यक्ष
श्री मुकेश गौर
श्री भूपेन्द्र नाग

सचिव
श्री शशिकांत कुदारे

कोषाध्यक्ष
श्री वर्षित कुमार गौर

सह-सचिव
सुश्री रूकमणी माधव

प्रवक्ता
श्री नारायण सिंह राजपूत
सुश्री छाया यादव
श्री मुकेश कुर्मी

पत्र क्रमांक /

दिनांक........................

अस्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही सर्किट हाउस की ड्यूटी में ग्रामीण तहसील की महिला पटवारियों को नहीं लगाया जावे।

4. ईकेवायसी एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य एवं आरओआर एवं अन्य तरह के ओटीपी बेस्ड के कार्य जैसे ओटीपी लेना सायबर अपराध की श्रेणी में आता है जिसका मैसेज वर्तमान में मोबाईल रिंगटोन पर शासन द्वारा प्रसारित किया जा रहा है । अतः उक्त ओटीपी बेस्ड आपराधिक कार्य करने हेतु पटवारियों पर दवाब नहीं बनाया जावे। मस्त पटवारियों द्वारा ईकेवायसी, फार्मर रजिस्ट्री आरओआर लिंकिंग कराने के संबंध में नियमित रूप से लगातार संबंधित कृषकों को सूचित किया जा रहा है।
5. पिछले वर्ष पटवारियों को शिक्षा विभाग की परीक्षाओं में कलेक्टर प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। अतः निवेदन है कि वर्तमान में पटवारियों के पास सीमांकन, समय सीमा में जांच प्रतिवेदन, भू राजस्व वसूली, आदेश अनुपालन, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाईन, आरओआर, ईकेवायसी, फार्मर रजिस्ट्री के कार्यो को समय सीमा में पूर्ण किया जाने का दवाब रहता है। अतः उक्त शिक्षा विभाग की परीक्षा में कलेक्टर प्रतिनिधि की ड्यूटी से पटवारियों को मुक्त रखा जावे।
6. पटवारियों के सभी लंबित ऐरियर्स, भत्तों के सभी बिल्स का भुगतान शीघ्र कराया जावे।
7. सर्विस बुक से धारित कर द्वितीय प्रति प्रदान करवाई जावे। तहसील स्तर एंव अनुभाग स्तर पर परामर्शदात्री की बैठक आयोजित की जावे।
8. नवीन पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जावे।
9. पीएमकिसान, ईकेवायसी एवं एनपीसीआई किसानों करवाने क बाद भी सूची में बार-बार नाम आ रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर की तकनीकी त्रुटि के कारण लंबित है। उक्त समस्त एप अपडेट कराया जावे।
10. स्वामित्व योजना की राशि का भुगतान शीघ्र कराया जावे।

Rakesh
13/2/25